न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :— 02/2017

(आरसीएमएस नम्बर :— 2017/00002)

उनवान प्रकरण

1—रामजीलाल आयु करीव 75 वर्ष । पुत्रगण कन्हैयालाल, जातिगण ब्राहम्ण
2—रामखिलाडी आयु करीव 65 वर्ष । निवासी ग्राम बरेहमोरी तह0 व जिला धौलपुर
.....अपीलान्ट्स

बनाम

1—तहसीलदार, तहसील धौलपुर
2—रामश्री पत्नी हुक्मसिंह उम्र करीब 75 वर्ष । समस्त जातिगण ब्राहम्ण
3—रमा शंकर उम्र करीब 58 वर्ष । ।
4—विनोद उम्र करीब 53 वर्ष । पुत्रगण । निवासीगण ग्राम बरेहमोरी
5—प्रमोद उम्र करीब 50 वर्ष ।स्व0 हुक्मसिंह ।
6—विष्णुदत्त उम्र करीब 40 वर्ष । । तहसील व जिला धौलपुर
.....रेस्पोडेण्ट्स

7—माया पुत्री कन्हैयालाल पत्नी तुलसीराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बरेहमोरी हाल ग्राम सुन्दरपुर(जाटौली) तहसील व जिला धौलपुर .....तरतीवी रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व नामान्तरकरण संख्या 1185
दि0 14.06.2016 बाके ग्राम बरेहमोरी
द्वारा तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :—
अपीलान्ट्स की ओर से :— श्री श्रीगोपाल शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट नं.—1 की ओर से :— श्री गोपालनारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पोडेण्ट नं.—3, 5,6 की ओर से :—श्री विनोद कुमार भार्गव एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 20.9.2018

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 603, 754, 755, 756, 759, 931, 933, 946, 949, वांके ग्राम बरेहमोरी तहसील धौलपुर में खातेदार कास्तकार रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल, अपीलान्टस एवं

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट संख्या–7 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2लगा06 के साथ थे। रामस्वरूप का निधन लगभग 8–9 माह पूर्व हो गया है। उसके जायज वारिसान अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–7 माया थे। अपीलान्टस की मॉ नारायनी का निधन पूर्व में हो चुका था। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–7 के साथ–साथ हुकमसिंह मृतक सगे भाई अपीलान्टस के वारिसान के नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 6 के नाम भी नामान्तकरण स्वीकार किया है जो अवैध है। उक्त नामान्तकरण आदेश से असतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि रामस्वरूप का निधन स्वीकृत रूप से बिना सन्तान, बिना पत्नी, बिना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत किये हुआ है। चूंकि अपीलान्टस की मॉ का निधन मृतक की मृतक की मृत्यु से पूर्व हो गया था इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची में कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है। इसलिये प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारी के नाम आक्षेपित नामान्तकरण नहीं खोला गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की द्वितीय अनुसूची में मृतक का पिता पहला उत्तराधिकारी हो सकता था किन्तु मृतक के पिता का निधन पूर्व में हो चुका है। द्वितीय रूप से पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्र की पुत्री भी मृतक के नहीं थी इसलिये भी मृतक का नामान्तकरण नहीं खोला गया। इसी वर्ग में भाई और बहिन आते है। इस प्रकार मृतक के निधन के समय अपीलान्टस भाई जीवित थे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–7 बहिन जीवित थी जिनके नाम नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था। अनुसूची दो के क्लॉज 3 का भी कोई वारिस जीवित नहीं है। क्लॉज 4 में भाई का पुत्र आता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा06 मृतक के भाई के पुत्र है जिन पर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या–7 के जीवित रहते हुये मृतक का उत्तराधिकार प्रकारान्त होना सम्भव नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 मृतक रामस्वरूप के भाई की पत्नी है उस पर तो रामस्वरूप की विरासत प्रकारान्त हो ही नहीं सकती। इस प्रकार आक्षेपित नामान्तकरण अवैध है। इस नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्टस को दिनांक 30.12.2016 को नकल जमाबन्दी पटवारी से प्राप्त करने पर हुई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1185 को निरस्त कर मृतक रामस्वरूप के जायज वारिसान अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–7 के नाम नामान्तकरण राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा06 के नाम हुये नामान्तकरण को राजस्व अभिलेख में से डिलीट करने की प्रार्थना की है।

अपीलान्टस ने अपील के साथ प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 1185 ग्राम बरेहमोरी तहसील धौलपुर, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 255 ग्राम बरेहमोरी, फोटोप्रति जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 खाता संख्या 255 ग्राम बरेहमोरी तहसील धौलपुर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये तथा रेस्पोडेण्ट नं. 2,3,5 व 6 की ओर से श्री विनोद कुमार भार्गव एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 7 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं। अतःउनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि रामस्वरूप का निधन स्वीकृत रूप से बिना सन्तान, बिना पत्नी, बिना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत किये हुआ है। चूंकि अपीलान्टस की मॉ का निधन मृतक की मृतक की मृत्यु से पूर्व हो गया था इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची में कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है। इसलिये प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारी के नाम आक्षेपित नामान्तकरण नहीं खोला गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की द्वितीय अनुसूची में मृतक का पिता पहला उत्तराधिकारी हो सकता था किन्तु मृतक के पिता का निधन पूर्व में हो चुका है। द्वितीय रूप से पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्र की पुत्री भी मृतक के नहीं थी इसलिये भी मृतक का नामान्तकरण नहीं खोला गया। इसी वर्ग में भाई और बहिन आते है। इस प्रकार मृतक के निधन के समय अपीलान्टस भाई जीवित थे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–7 बहिन जीवित थी जिनके नाम नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था। अनुसूची दो के क्लॉज 3 का भी कोई वारिस जीवित नहीं है। क्लॉज 4 में भाई का पुत्र आता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा06 मृतक के भाई के पुत्र है जिन पर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के जीवित रहते हुये मृतक का उत्तराधिकार प्रकारान्त होना सम्भव नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 मृतक रामस्वरूप के भाई की पत्नी है उस पर तो रामस्वरूप की विरासत प्रकारान्त हो ही नहीं सकती। इस प्रकार आक्षेपित नामान्तकरण अवैध है। उक्त विवादित आराजी से सम्बधित एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में मु0न0 45/17 उनवानी प्रमोद बनाम रामजीलाल विचाराधीन है। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि है। बिना अधिकारी पारित आदेश की कोई म्याद नहीं होती उसे किसी भी समय अपास्त किया जा सकता है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, आर आर डी 1998 पेज 336, आर आर डी 1996 पेज 459 की न्यायिक नजीरें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 14.6.2016 का जिसकी अपील जनवरी 2017 में की गई है जो म्याद वाहर है। नामान्तकरण वित्तीय कार्यवाही है इसके माध्यम से अधिकारों का सृजन नहीं होता। अपीलान्टस को अपने अधिकारो की धोषणा कराने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिऐ। तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ही अंकन किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। नामान्तकरण वित्तीय कार्यवाही है इसके माध्यम से अधिकारों का सृजन नहीं होता। यदि उत्तराधिकार का विषय है तो सक्षम न्यायालय से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों की धोषणा करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

कर सकते है। प्रश्नगत नामान्तकरण आदेश में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते । अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रतिलिपि मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावें। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राजo)

Scanned by CamScanner